FORM NO -III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत **जिला कलक्टर** **मुकाम** **नागौर**

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
पप्पाराम विश्नोई पुत्र श्री भागुराम जाति विश्नोई निवासी कोसाणा तहसील पींपाड़ सिटी जिला जोधपुर, राजस्थान		राजस्थान सरकार जरिये लोक अभियोजक, नागौर

किस्म मुकदमा फौजदारी प्रार्थना पत्र **संख्या** ......27...... /2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
04.05.22	वकील प्रार्थी ने प्रार्थी पप्पाराम विश्नोई की ओर से पुलिस थाना गोटन की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–262/2021 अधीन धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम प्रकरण में प्रार्थी का जब्तशुदा वाहन पिकअप चेसीस नम्बर MA1ZU2TNKM1G59937 इंजन नम्बर TNM1G75413 को जमानतनामा व सुपुर्दगीनामा पर छोड़ने हेतु धारा 457 सीआरपीसी के तहत यह आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। आवेदन की नकल अभियोजन अधिकारी एवं प्रवर्तन अधिकारी रसद कार्यालय नागौर को दिलाई गई। अभियोजन अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रकरण की मूल अनुसंधान पत्रावली मय प्रकरण की स्पष्ट तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 11.05.2022 को न्यायालय में प्रस्तुत करें। पत्रावली दिनांक 11.05.2022 को पेश हो। जिला कलक्टर,नागौर	
11.5.22	वकील प्रार्थी उप० । EI व APP उप० । PO साहब प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 19.5.22 को पेश हो।	
19/5/22	वकील प्रार्थी उप० । E.I. व APP उप० । P.O. साहब प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 25/5/22 को पेश हो।	
25/5/22	वकील प्रार्थी उप० । EI श्री राजावतार पूनिया उप० । APP श्री सुरेश कुमार सोमल उप० । वकील प्रार्थी ने उनके द्वारा प्रस्तुत [illegible] 457 Cr.P.C को आगे नहीं चलाना [illegible] का कथन करते हुए Not press किया है। [illegible] वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत [illegible] व Not press करते [illegible] खारिज किया जाता है। आदेश सुनाया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो व दाखिल दफ्तर हो। (पीयुष समारिया) कलक्टर, नागौर	Not press इस आवेदन को आगे चलाना नहीं चाहता हूँ

Signature Not Verified
Digitally signed by Peeyush Samariya
Date: 2023.06.09 10:10:22 IST
Reason: SelfAttested